

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू० (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू०) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 1177.10 लाख (ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख दस हजार रू० मात्र) की अन्तर राशि रू० 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू०) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

विभागीय राज्यादेश सं०-²⁷¹ दिनांक-^{23/3/17} द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू० (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू०) मात्र के विरुद्ध आनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 1177.10 लाख की निकासी की जानी है। परन्तु बजट में राज्यांश मद में 967.86 लाख रू० उपबंध रहने के कारण रू० 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश सं०-221 दिनांक-08.02.17 द्वारा निकासी की जा चुकी है। तृतीय अनुपूरक में बजट उपबंध प्राप्त हो चुका है, इसलिए अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि रू० 1177.10-967.86 = 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू०) की आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि रू० 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू०) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 209.24 लाख रू0 (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 300.00 लाख रू0 (तीन करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 272 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 23.3.17
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 272 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 23.3.17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2, (बजट) नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 271 /न०वि०एवंआ०वि०
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 23-3-17

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु Genral मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैसठ लाख पैसठ हजार रू0) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 1177.10 लाख (ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख दस हजार रू0 मात्र) की अन्तर राशि रू0 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैसठ लाख पैसठ हजार रू0) मात्र के विरुद्ध आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 1177.10 लाख की निकासी की जानी है। परन्तु बजट में राज्यांश मद में 967.86 लाख रू0 उपबंध रहने के कारण रू0 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश सं०-221 दिनांक-08.02.17 द्वारा निकासी की जा चुकी है। तृतीय अनुपूरक में बजट उपबंध प्राप्त हो चुका है, इसलिए अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि रू0 1177.10-967.86 = 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि रू0 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 209.24 लाख रू0 (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 300.00 लाख रू0 (तीन करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-56 / टि0 पर दिनांक-23-03-17 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-56/टि0 पर दिनांक-22-03-17 को प्राप्त है। .

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 271

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 23-3-17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 271

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 23-3-17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY- NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।